



दिनांक 09.08.2022

प्रेस विज्ञप्ति 09 / 2022

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 से प्रान्तीय पुलिस सेवा संवर्ग उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों द्वारा की गयी औपचारिक भेंट

आज दिनांक 09.08.2022 को पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 से प्रान्तीय पुलिस सेवा संवर्ग उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों द्वारा औपचारिक भेंट की गयी।

प्रान्तीय पुलिस सेवा संवर्ग के पदाधिकारियों द्वारा पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 महोदय से भेंट कर कैडर की समस्याओं से अवगत कराया गया।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 महोदय द्वारा कैडर की समस्याओं पर गहन विचार एवं मंत्रणा करते हुये सम्बन्धित अधिकारियों को कैडर की विसंगतियों को दूर करने तथा पीपीएस अधिकारियों के कैडर रिब्यू एवं अन्य समस्याओं के सन्दर्भ में शासन को शीघ्र प्रस्ताव प्रेषित करने एवं मुख्यालय स्तर पर शीघ्र कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 महोदय द्वारा यह अपेक्षा की गयी कि पीपीएस अधिकारी पूर्व की तरह सरकार की प्राथमिकताओं के अनुरूप कड़ी मेहनत करेंगे।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 महोदय द्वारा प्रदेश में सुदृढ़ कानून व्यवस्था स्थापित करने में पीपीएस अधिकारियों के योगदान की सराहना करते हुये उन्हें शुभकामनाएं दीं।

इस अवसर पर प्रान्तीय पुलिस सेवा संवर्ग के अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, कोषाधिकारी सहित अन्य पीपीएस अधिकारी उपस्थित रहे।



जनपद अमरोहा/थाना आदमपुर

- 50 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त सहित 03 अभियुक्त

गिरफ्तार

- घटना में प्रयुक्त ट्रैक्टर फार्मट्रैक आदि बरामद

दिनांक 08.08.2022 को थाना आदमपुर व काइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना आदमपुर क्षेत्र से पुरस्कार घोषित अभियुक्त 1-ताहिर सहित अभियुक्त 2-कमल 3-रघुनन्दन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त ट्रैक्टर फार्मट्रैक आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त ताहिर थाना आदमपुर पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु परिक्षेत्र स्तर से 50 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना आदमपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1-ताहिर निवासी ग्राम नवादा थाना सरसावा जनपद सहारनपुर हालपता ग्राम सांथलपुर थाना आदमपुर जनपद अमरोहा।
- 2-कमल निवासी ग्राम सिमथला थाना आदमपुर जनपद अमरोहा।
- 3-रघुनन्दन निवासी ग्राम पथरा थाना रहरा जनपद अमरोहा।

बरामदगी

- 1-घटना में प्रयुक्त ट्रैक्टर फार्मट्रैक आदि।

जनपद मेरठ/थाना नौचन्दी

• 04 अभियुक्त गिरफ्तार

• लूट के 40 लाख 11 हजार 465 रुपये नगद

• लूट के भारी मात्रा में सोने-चाँदी के आभूषण, सिक्के, ट्रे आदि बरामद

दिनांक 09.08.2022 को थाना नौचन्दी व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 04 अभियुक्तों 1-ईशु 2-विशांत 3-रिंकू 4-दीपक को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 40 लाख 11 हजार 465 रुपये नगद, लूट के भारी मात्रा में सोने-चाँदी के आभूषण, सिक्के, ट्रे आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 08.08.2022 को थाना नौचन्दी क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना नौचन्दी पर मु0अ0सं0 251/2022 धारा 394/302 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया, आभूषण आदि उक्त घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना नौचन्दी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1-ईशु निवासी अम्बेडकर नगर प्रेमविहार माधवपुरम थाना ब्रहमपुरी जनपद मेरठ।

2-विशांत निवासी जी-ब्लॉक शास्त्रीनगर कुटी थाना नौचन्दी जनपद मेरठ।

3-रिंकू निवासी जी-ब्लॉक शास्त्रीनगर कुटी थाना नौचन्दी जनपद मेरठ।

4-दीपक निवासी जी-ब्लॉक थाना नौचन्दी जनपद मेरठ, स्थाई पता मो0कन्हईयापुरा गढ रोड हापुड थाना हापुड देहात जनपद हापुड।

बरामदगी

1-लूट के 40 लाख 11 हजार 465 रुपये नगद।

2-लूट के भारी मात्रा में सोने-चाँदी के आभूषण, सिक्के, ट्रे आदि।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना नई मण्डी

- लूट की घटना का अनावरण
- पुलिस कार्यवाही में 04 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार
 - लूट के 17 हजार 100 रुपये नगद
- लूट के लगभग 04 लाख रुपये कीमत के आभूषण
- 04 अवैध तमंचा 315 बोर, 08 जीवित, 01 खोखा कारतूस
 - घटना में प्रयुक्त 02 दो पहिया वाहन बरामद

दिनांक 09.08.2022 को थाना नई मण्डी व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नसीरपुर रोड़ के पास चेकिंग के दौरान पुलिस कार्यवाही में 04 शातिर अभियुक्तों 1—दानिश 2—नबाब 3—रिहान 4—इंतजार को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 17 हजार 100 रुपये नगद, लूट के लगभग 04 लाख रुपये कीमत के आभूषण, 04 अवैध तमंचा 315 बोर, 08 जीवित, 01 खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 02 दो पहिया वाहन बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 06.08.2022 को थाना नई मण्डी क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना नई मण्डी पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया, आभूषण उक्त घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त दानिश, शहजाद एवं रिहान के विरुद्ध जनपद मुजफ्फरनगर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, डकैती आदि के 03—03 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना नई मण्डी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1—दानिश निवासी नयी आबादी फिरदौशनगर खालापार थाना कोतवाली नगर जनपद मुजफ्फरनगर।
- 2—नबाब निवासी मिमलाना रोड थाना कोतवाली नगर जनपद मुजफ्फरनगर।
- 3—रिहान निवासी मिमलाना रोड थाना कोतवाली नगर जनपद मुजफ्फरनगर। 4—इंतजार निवासी अकबरपुर थाना बहसुमा जनपद मेरठ।

बरामदगी

- 1—लूट के 17 हजार 100 रुपये नगद।
- 2—लूट के लगभग 04 लाख रुपये कीमत के आभूषण।
- 3—04 अवैध तमंचा 315 बोर, 08 जीवित, 01 खोखा कारतूस।
- 4—घटना में प्रयुक्त 02 दो पहिया वाहन।

जनपद एटा/थाना अवागढ़

- 15 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार
 - लूट के 1840 रुपये नगद
 - 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस
 - 01 मोटर साइकिल बरामद

दिनांक 09.08.2022 को थाना अवागढ़ व काइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बसुंधरा चौराहे के पास चेकिंग के दौरान पुरस्कार घोषित अभियुक्त शीले उर्फ शीलेन्द्र को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लूट के 1840 रुपये नगद, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरुद्ध जनपद एटा के विभिन्न थानों पर लूट आदि के 06 अभियोग पंजीकृत हैं। गिरफ्तार अभियुक्त थाना अवागढ़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0-44/2022 धारा 394 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद रुपये उक्त लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना अवागढ़ पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1-शीले उर्फ शीलेन्द्र निवासी अहरमई थाना निधौलीकलां जनपद एटा।

बरामदगी

1-लूट के 1840 रुपये नगद।

2-01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस।

3-01 मोटर साइकिल।

जनपद शाहजहाँपुर/थाना मदनापुर

- लगभग 03 लाख 50 हजार रुपये कीमत की चोरी के सोने के आभूषण

बरामद

दिनांक 09.08.2022 को थाना मदनापुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नगला गौटिया पुलिया के पास से 04 अभियुक्तों 1-अनीष 2-बबलू 3-शाने आलम उर्फ बड्डा 4-नसीम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 03 लाख 50 हजार रुपये कीमत की चोरी के सोने के आभूषण बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त शाने आलम उर्फ बड्डा के विरुद्ध जनपद शाहजहाँपुर, राजस्थान प्रान्त के विभिन्न थानों पर चोरी, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 08 अभियोग, अभियुक्त

नसीम के विरुद्ध जनपद शाजहॉपुर के विभिन्न थानों पर चोरी, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट के 13 अभियोग पंजीकृत हैं। दिनांक: 22.07.2022 को थाना मानपुर जनपद दौसा, राजस्थान क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना मानपुर जनपद दौसा, राजस्थान में मु0अ0सं0 242/2022 धारा 380 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण उक्त चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना मदनापुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1-अनीष निवासी इस्लामनगर पंखाखेडा थाना मदनापुर जनपद शाहजहॉपुर।
- 2-बबलू निवासी इस्लामनगर पंखाखेडा थाना मदनापुर जनपद शाहजहॉपुर।
- 3-शाने आलम उर्फ बड्डा निवासी इस्लामनगर पंखाखेडा थाना मदनापुर जनपद शाहजहॉपुर।
- 4-नसीम निवासी इस्लामनगर पंखाखेडा थाना मदनापुर जनपद शाहजहॉपुर।

बरामदगी

- 1-लगभग 03 लाख 50 हजार रूपये कीमत की चोरी के सोने के आभूषण।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना कोतवाली नगर

- पुलिस कार्यवाही में 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार
- 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित, 01 खोखा कारतूस
- 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर)बरामद

दिनांक 08.08.2022 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्रान्तर्गत चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का

प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में बदमाश सलमान घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित, 01 खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर) बरामद हुई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त हिस्ट्रीशीटर अपराधी है, जिसके विरुद्ध जनपद मुजफ्फरनगर, उत्तराखण्ड व हरियाणा प्रान्त के विभिन्न थानों पर चोरी, हत्या का प्रयास, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट आदि के 22 अभियोग पंजीकृत हैं। गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0—373/2022 धारा 307 भादवि में वॉछित चल रहा था।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सलमान निवासी किदवईनगर थाना कोतवाली नगर जनपद मुजफ्फरनगर।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित, 01 खोखा कारतूस।

2—01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर)।

जनपद संतकबीरनगर/थाना दुधारा

- 05 अभियुक्त गिरफ्तार
 - धोखाधड़ी से अर्जित 84 हजार 700 रूपये नगद
 - विभिन्न बैंको के 60 एटीएम कार्ड
- 01 लैपटॉप, 01 एटीएम क्लोनिंग डिवाइस, 01 एटीएम लॉकर खोलने वाली चाभी, चेक बुक, पैनकार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेन्स
 - 01 हुंडई कार
 - 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)आदि बरामद

दिनांक 09.08.2022 को थानाय दुधारा व काइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कस्बा लोहरौली से 05 अभियुक्तों 1—सुशील 2—सतीश कुमार उर्फ संदीप उर्फ सुखबल 3—अमित कुमार 4—सिकन्दर कुमार 5—राजेश कुमार उर्फ राजा को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से धोखाधड़ी से अर्जित 84 हजार 700 रूपये नगद, विभिन्न बैंको के 60 एटीएम कार्ड, 01 लैपटॉप, 01 एटीएम क्लोनिंग डिवाइस, 01 एटीएम लॉकर खोलने वाली चाभी, चेक बुक, पैनकार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेन्स, 01 हुंडई कार, 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) आदि बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त सुशील के विरुद्ध जनपद बस्ती, संतकबीरनगर के विभिन्न थानों पर धोखाधड़ी के 04 अभियोग, अभियुक्त सतीश कुमार के विरुद्ध जनपद महाराजगंज संतकबीरनगर के विभिन्न थानों चोरी, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट आदि के 05 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा संतकबीरनगर व आस पास के जनपदों में लगे एटीएम मशीन पर आने वाले लोगो की मदद करने के नाम पर अपनी बातों में उलझाकर उनका एटीएम बदलकर धोखाधड़ी से रूपये निकाल लेते है।

इस सम्बन्ध में थाना दुधारा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1—सुशील निवासी सुवेलवा थाना कोतवाली जनपद बस्ती।
- 2—सतीश कुमार उर्फ संदीप उर्फ सुखखल निवासी रर्वडसर थाना घुधुली जनपद महाराजगंज।
- 3—अमित कुमार निवासी पुरानी चौक नोनिया टोला थाना जनपद गोपालगंज, बिहार।
- 4—सिकन्दर कुमार निवासी सुगवनिया थाना मीरगंज जनपद गोपालगंज, बिहार।
- 5—राजेश कुमार उर्फ राजा निवासी पुरानी चौक नोनिया टोला थाना जनपद गोपालगंज, बिहार।

बरामदगी

- 1—धोखाधड़ी से अर्जित 84 हजार 700 रुपये नगद।
- 2—विभिन्न बैंको के 60 एटीएम कार्ड।
- 3—01 लैपटॉप, 01 एटीएम क्लोनिंग डिवाइस, 01 एटीएम लॉकर खोलने वाली चाभी।
- 4—चेक बुक, पैनकार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेन्स।
- 5— 01 हंडई कार।
- 6—01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) आदि।

जनपद मीरजापुर/थाना रॉबर्ट्सगंज

- 02 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार
- लगभग 15 लाख रुपये कीमत की 150 ग्राम अवैध हेरोइन(मादक पदार्थ)
- 01 मोटर साइकिल बरामद

दिनांक 08.08.2022 को थाना रॉबर्ट्सगंज व काइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पन्नूगंज रोड धुवास के पास चेकिंग के दौरान 02 मादक

पदार्थ तस्करों 1—इम्तियाज 2—अब्दुल मजीद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 15 लाख रुपये कीमत की 150 ग्राम अवैध हेरोइन (मादक पदार्थ), 01 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त अब्दुल मजीद के विरुद्ध थाना रॉबर्ट्सगंज पर एनडीपीएस एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना रॉबर्ट्सगंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—इम्तियाज निवासी पूरब मुहाल थाना रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र।

2—अब्दुल मजीद निवासी वार्ड नं०—21 थाना रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र।

बरामदगी

1—लगभग 15 लाख रुपये कीमत की 150 ग्राम अवैध हेरोइन (मादक पदार्थ)।

2—01 मोटर साइकिल।
